

कार्यालय उप वन संरक्षक, जैसलमेर

क्रमांक: एफ()तकनीकी/उवसं/2020-21/ 1441
निमित्त,

दिनांक : 16/6/2020

परियोजना निदेशक
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
परियोजना कार्यान्वयन इकाई बीकानेर,
सी-38 सादुलगंज बीकानेर-334002

विषय :- Development of Emergency Landing Facility from Km 229+400 to km 234+400 (old km 194+600 to km 199+600) of Phalodi-Jaisalmer Section of NH-11 (old NH-15), in the State of Rajasthan-Submission of Forest Proposal -reg.

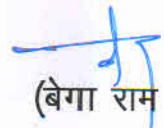
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि उक्त प्रकरण का फाईल अवलोकन एवं मौका निरीक्षण करने के उपरांत निम्नानुसार कमियाँ पायी गयी हैं :-

1. उक्त प्रकरण में प्रारम्भ में सड़क के एलएचएस में 5 मीटर (from 15 meters upto 20 meter from center line on LHS) व आरएचएस में 4 मीटर (from 16 meters upto 20 meter from center line on RHS) चौड़ाई में वनभूमि के प्रत्यावर्तन का आवेदन किया गया था, जिसको परिवर्तन कर अब सड़क के एलएचएस में 7.5 मीटर (from 15 meters upto 22.5 meter from center line on LHS) व आरएचएस में 6.5 मीटर (from 16 meters upto 22.5 meter from center line on RHS) चौड़ाई में वनभूमि का प्रत्यावर्तन प्रस्तावित किया है। प्रस्तावित आरओडब्ल्यू 60 मीटर (upto 30 meters from center line on both sides) में सड़क के दोनों साईड में 7.5 मीटर (from 22.5 meters upto 30 meter from center line on both sides) चौड़ाई की भूमि भी सम्मिलित है, जिस पर भी पेड लगे हुए हैं। इस भूमि को प्रस्ताव में प्रत्यावर्तन के लिये सम्मिलित नहीं किया गया है। जबकि यह भूमि रक्षित वन पट्टी का ही हिस्सा है। अतः इस अतिरिक्त भूमि की वैधानिक स्थिति संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करें।
2. उक्त प्रकरण में 12 मीटर (upto 6 meters from center line on both sides) सड़क (blacktop) एवं सड़क के एलएचएस में 9 मीटर (from 6 meters upto 15 meters from center line on LHS) व RHS में 10 मीटर (from 6 meters upto 16 meters from center line on RHS) चौड़ाई की वनभूमि का पूर्व में प्रत्यावर्तन दर्शाया गया है। चूंकि इस वनभूमि पर भी वर्तमान में पेड लगे हुए हैं। अतः इसके बारे में स्थिति स्पष्ट करें कि क्या उक्त पेडों को काटे जाने की स्वीकृति पूर्व में ली जा चुकी है।

अतः उक्त आक्षेपों की पूर्ति कर प्रकरण पुनः भिजवावे ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

भवदीय


(बेगा राम जाट)
IFS
उप वन संरक्षक
जैसलमेर